



रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
“गट-ब्रेन एक्सिस को नियंत्रित करने के लिए एक संभावित साइकोबायोटिक कंसोर्टियम” के
व्यावसायीकरण / लाइसेंस प्रदान करने के लिए
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR COMMERCIALISATION / LICENSING OF
“A Potential Psychobiotic Consortium for Modulation of the Gut–Brain Axis”

विज्ञापन संख्या/ Advt No.605

दिनांक/ Date: 08.10.2026

जारीकर्ता/ Issued by

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएसएसटी)
(भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वशासी संस्थान)
विज्ञान पथ, पश्चिम बड़ागाँव, गुवाहाटी – 781035, असम, भारत
Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST)
(An autonomous institute under the Department of Science & Technology, Government of India)
Vigyan Path, Paschim Boragaon, Guwahati – 781035, Assam, India

1. आमंत्रण/ Invitation

आईएसएसटी प्रोबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल-फूड या संबंधित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास, विनिर्माण और व्यावसायीकरण के लिए प्रदर्शित या विश्वसनीय क्षमता रखने वाली योग्य भारतीय कंपनियों/स्टार्ट-अप/एलएलपी और अन्य कानूनी रूप से गठित संस्थाओं से नीचे वर्णित प्रौद्योगिकी के लाइसेंसिंग और व्यावसायीकरण के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है/ IASST invites Expressions of Interest (EOI) from eligible Indian companies/start-ups/LLPs and other legally constituted entities having demonstrated or credible capability for development, manufacture and commercialisation of probiotic, nutraceutical, functional-food or related biotechnology products, for licensing and commercialisation of the technology described below.

2. प्रौद्योगिकी/ Technology

यह तकनीक पूर्वोक्त भारत के पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों से अलग किए गए लैक्टोप्लांटिबैसिलस प्लांटारम और लिमोसिलैक्टोबैसिलस फर्मेंटम के दो उपभेदों वाले संभावित साइकोबायोटिक संघ से संबंधित है। प्रौद्योगिकी का उपयुक्त प्रयोगात्मक प्रणालियों में मूल्यांकन किया गया है और आंत-मस्तिष्क अक्ष के मॉड्यूलेशन से जुड़े पूर्व-नैदानिक निष्कर्षों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कोशिका-आधारित अध्ययनों, सी. एलिगेंस और माउस मॉडल में देखे गए प्रभाव शामिल हैं/ The technology relates to a potential psychobiotic consortium comprising two strains each of *Lactiplantibacillus plantarum* and *Limosilactobacillus fermentum*, isolated from traditional fermented foods of Northeast India. The technology has been evaluated in appropriate experimental systems and has demonstrated preclinical findings associated with modulation of the gut–brain axis, including effects observed in cell-based studies, *C. elegans* and mouse models.

विस्तृत तकनीकी डोजियर, स्ट्रेन जानकारी, प्रोटोकॉल, जानकारी और जैविक सामग्री, जैसा लागू हो, उपयुक्त गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) और/या सामग्री हस्तांतरण समझौते (एमटीए) के निष्पादन के अधीन शॉर्टलिस्ट किए

गए आवेदकों को उपलब्ध कराया जाएगा/ The detailed technical dossier, strain information, protocols, know-how and biological materials, as applicable, will be made available to shortlisted applicants subject to execution of an appropriate Non-Disclosure Agreement (NDA) and/or Material Transfer Agreement (MTA).

3. बौद्धिक संपदा/ Intellectual property

आईएसएसटी प्रौद्योगिकी के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। पेटेंट आवेदन की स्थिति और लाइसेंस दिए जाने वाले अधिकारों के दायरे के बारे में शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को उचित रूप से सूचित किया जाएगा। इस ईओआई में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि पहले से ही पेटेंट दिया जा चुका है/ IASST is in the process of securing intellectual property protection for the technology. The status of the patent application and the scope of rights proposed to be licensed shall be communicated to shortlisted applicants as appropriate. Nothing in this EOI shall be construed as a representation that a patent has already been granted.

4. प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर/ Technology readiness level

प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के प्रयोजन के लिए, आईएसएसटी लागू आईएसएसटी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति और संस्थागत मूल्यांकन के तहत पुष्टि/अनुमोदन के अधीन प्रौद्योगिकी को टीआरएल-4 के रूप में मानने का प्रस्ताव करता है/ For the purpose of technology-transfer and commercialisation, IASST proposes to treat the technology as TRL-4, subject to confirmation/approval under the applicable IASST Technology Transfer Policy and institutional assessment.

5. प्रस्तावित व्यावसायिक शर्तें/ Proposed commercial terms

5.1 अग्रिम लाइसेंस शुल्क: आवेदक आईएसएसटी को दिए जाने वाले एकमुश्त अग्रिम लाइसेंस शुल्क का उद्धरण देंगे। आईएसएसटी, जहां उचित हो, तय किए गए माइलस्टोन्स से जुड़े किशतों में भुगतान के शेड्यूल की अनुमति दे सकता है/ Upfront licence fee: Applicants shall quote the one-time upfront licence fee offered to IASST. IASST may, where appropriate, permit a staggered payment schedule linked to agreed milestones.

5.2 रॉयल्टी: आईएसएसटी द्वारा प्रस्तावित रॉयल्टी दर, लाइसेंस प्राप्त प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाले या उसका उपयोग करने वाले उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) के आधार पर निर्धारित शुद्ध एक्स-फैक्टरी बिक्री का 3% है। यह दर लाइसेंस समझौते में अंतिम रूप से निर्धारित परिभाषा तथा लागू करों/वैधानिक शुल्कों के अधीन होगी। प्रस्तावित रॉयल्टी दर टीआरएल-4 की स्थिति और लागू संस्थागत ढाँचे को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है/ Royalty: The royalty rate proposed by IASST is 3% of Net Ex-Factory Sales based on MRP of products incorporating or using the licensed technology, subject to the final definition in the Licence Agreement and applicable taxes/statutory levies. The royalty rate is proposed with reference to the TRL-4 status and the applicable institutional framework.

5.3 तकनीकी हस्तांतरण/हैंडहोल्डिंग: प्रौद्योगिकी के सामान्य हस्तांतरण से परे कोई भी तकनीकी हस्तांतरण या हैंडहोल्डिंग समर्थन लाइसेंस समझौते द्वारा शासित होगा और, जहां लागू हो, आईएसएसटी द्वारा अनुमोदित रूप से अलग से प्रभावी होगा/ Technical transfer/handholding: Any technical transfer or handholding support beyond the normal transfer of the technology shall be governed by the Licence Agreement and, where applicable, separately chargeable as approved by IASST.

6. लाइसेंस का स्वरूप/ Nature of licence

आईएसएसटी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किए जाने तक एक गैर-विशिष्ट लाइसेंस पर विचार करने का प्रस्ताव करता है। यदि किसी अनन्य लाइसेंस पर विचार किया जाता है, तो वह निर्धारित क्षेत्र, उपयोग-क्षेत्र, व्यावसायीकरण के चरणबद्ध लक्ष्यों, न्यूनतम निष्पादन दायित्वों तथा समाप्ति/अधिकारों की वापसी संबंधी प्रावधानों के अधीन होगा/ IASST proposes to consider a non-exclusive licence unless otherwise specified by the competent

authority. Any exclusive licence, if considered, shall be subject to specific territory, field-of-use, commercialisation milestones, minimum performance obligations and termination/reversion provisions.

7. पात्रता/ Eligibility

पात्र आवेदकों के पास प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, सूक्ष्मजीव-आधारित उत्पादों या संबंधित जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्पाद विकास, उत्पादन-विस्तार, विनिर्माण और व्यावसायीकरण की प्रमाणित क्षमता अथवा विश्वसनीय योजना होनी चाहिए। आवेदकों के पास उपयुक्त तकनीकी, गुणवत्ता-संबंधी, नियामकीय तथा वित्तीय क्षमता होनी चाहिए जहाँ उपयुक्त हो, स्टार्ट-अप पूर्व वर्षों के कारोबार संबंधी आवश्यकताओं के स्थान पर तीन-वर्षीय व्यावसायिक योजना और वित्तपोषण/क्षमता के प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं/ Eligible applicants should have demonstrated capability or a credible plan for product development, scale-up, manufacture and commercialisation in probiotics, nutraceuticals, functional foods, microbiological products or related biotechnology. Applicants should have appropriate technical, quality, regulatory and financial capability. Start-ups may submit a three-year business plan and evidence of funding/capability in lieu of historical turnover requirements, where appropriate.

8. प्रस्तुत किए जाने वाले जानकारी/दस्तावेज़/ Information/documents to be submitted

1. निगमन/पंजीकरण और संवैधानिक दस्तावेजों का प्रमाण पत्र/ Certificate of incorporation/registration and constitutional documents.
2. पैन और जीएसटीआईएन, जैसा लागू हो/ PAN and GSTIN, as applicable.
3. कंपनी का परिचय तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण/ Company profile and details of authorised signatory.
4. जहाँ लागू हो, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/कारोबार का विवरण; स्टार्ट-अप तीन-वर्षीय व्यावसायिक योजना और वित्तपोषण का विवरण दे सकते हैं/ Audited financial statements/turnover for the last three financial years, where applicable; start-ups may provide a three-year business plan and funding details.
5. प्रौद्योगिकी अवशोषण, उत्पाद विकास, विनिर्माण और व्यावसायीकरण में प्रासंगिक अनुभव का विवरण/ Details of relevant experience in technology absorption, product development, manufacturing and commercialisation.
6. किण्वन/बायोप्रोसेसिंग, माइक्रोबायोलॉजी, क्यूसी/क्यूए, फॉर्मूलेशन और नियामक क्षमता सहित तकनीकी क्षमता विवरण/Technical capability statement, including fermentation/bioprocessing, microbiology, QC/QA, formulation and regulatory capability.
7. विनिर्माण सुविधाओं अथवा प्रस्तावित विनिर्माण व्यवस्था का विवरण/ Details of manufacturing facilities or proposed manufacturing arrangements.
8. जहाँ लागू हो, घरेलू तथा निर्यात रणनीति सहित विपणन और व्यावसायीकरण योजना/ Marketing and commercialisation plan, including domestic and export strategy, where applicable.
9. संबंधित प्रमाणपत्रों/गुणवत्ता प्रणालियों तथा नियामकीय अनुभव का विवरण/ Details of relevant certifications/quality systems and regulatory experience.
10. प्रमुख तकनीकी एवं प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण/ Details of key technical and managerial manpower.
11. आईएसएसटी को प्रस्तावित अग्रिम लाइसेंस शुल्क/ Upfront licence fee offered to IASST.
12. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषणा जानकारी की सटीकता और ईओआई शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि/ Declaration by authorised signatory confirming accuracy of information and acceptance of the EOI terms.

9. गोपनीयता और सामग्री हस्तांतरण/ Confidentiality and material transfer

विस्तृत गोपनीय तकनीकी जानकारी केवल गोपनीयता-भंग न करने के समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही साझा की जाएगी। किसी भी सूक्ष्मजीवी स्ट्रेन या अन्य जैविक सामग्री का हस्तांतरण उपयुक्त सामग्री हस्तांतरण समझौते तथा लागू जैव-सुरक्षा, कानूनी और संस्थागत आवश्यकताओं के अधीन होगा/ Detailed confidential technical information shall be disclosed only after execution of an NDA. Any transfer of microbial

strains or other biological materials shall be subject to an appropriate MTA and applicable biosafety, legal and institutional requirements.

10. नियामकीय जिम्मेदारी/ Regulatory responsibility

लाइसेंसधारी व्यावसायिक उत्पाद के विकास, विनिर्माण, बिक्री और विपणन के लिए आवश्यक सभी अनुमोदन, लाइसेंस, पंजीकरण तथा स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की लागू आवश्यकताएँ भी शामिल हैं। स्वास्थ्य, पोषण, रोग-संबंधी अथवा उत्पाद के अन्य दावे केवल लागू कानूनों और नियामकीय अनुमोदनों के अनुरूप ही किए जाएंगे। आईएसएसटी द्वारा बताए गए पूर्व-नैदानिक निष्कर्षों को नैदानिक प्रभावकारिता के दावों के रूप में नहीं माना जाएगा/ The Licensee shall be solely responsible for obtaining all approvals, licences, registrations and clearances required for the development, manufacture, sale and marketing of the commercial product, including applicable FSSAI requirements. Any health, nutrition, disease-related or other product claim shall be made only in accordance with applicable law and regulatory approvals. Preclinical findings reported by IASST shall not be construed as clinical efficacy claims.

11. व्यावसायीकरण माइलस्टोन/ Commercialisation milestones

फाइनल लाइसेंस एग्रीमेंट में आपसी सहमति से तय किए गए माइलस्टोन होंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्केल-अप, रेगुलेटरी पाथवे, पायलट/कमर्शियल मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट लॉन्च शामिल होंगे। एक विशेष लाइसेंस के लिए, ऐसे माइलस्टोन (महत्वपूर्ण पड़ाव) हासिल करना एक्सक्लूसिविटी जारी रखने की शर्त होगी/ The final Licence Agreement shall contain mutually agreed milestones covering technology transfer, scale-up, regulatory pathway, pilot/commercial manufacture and product launch. For an exclusive licence, achievement of such milestones shall be a condition of continuation of exclusivity.

12. रॉयल्टी रिपोर्टिंग और लेखा-परीक्षा/ Royalty reporting and audit

लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री से संबंधित संपूर्ण लेखा-पुस्तकें तथा अभिलेख रखेगा और लाइसेंस समझौते में निर्धारित प्रारूप एवं आवृत्ति के अनुसार समय-समय पर रॉयल्टी विवरण प्रस्तुत करेगा। आईएसएसटी को रॉयल्टी की गणना का सत्यापन/लेखा-परीक्षा करने के उपयुक्त अधिकार प्राप्त होंगे/ The Licensee shall maintain complete books and records relating to manufacture and sale of licensed products and shall submit periodic royalty statements in the form and frequency specified in the Licence Agreement. IASST shall have appropriate rights to verify/audit royalty calculations.

13. कार्यभार और उप-लाइसेंस/ Assignment and sub-licensing

लाइसेंस के असाइनमेंट या किसी उप-लाइसेंस के अनुदान के लिए आईएसएसटी की पूर्ण लिखित मंजूरी की आवश्यकता होगी और यह लाइसेंस समझौते में निर्दिष्ट वाणिज्यिक शर्तों, रिपोर्टिंग दायित्वों और राजस्व-साझाकरण प्रावधानों के अधीन होगा/ Assignment of the licence or grant of any sub-licence shall require prior written approval of IASST and shall be subject to such commercial terms, reporting obligations and revenue-sharing provisions as may be specified in the Licence Agreement.

14. सामान्य शर्तें/ General conditions

- आईएसएसटी लागू नियमों और संस्थागत नीति के अधीन, कारण बताए बिना किसी भी या सभी ईओआई को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है/ IASST reserves the right to accept or reject any or all EOIs without assigning reasons, subject to applicable rules and institutional policy.
- जहां आवश्यक समझा जाए, आईएसएसटी ईओआई को रद्द, संशोधित या पुनः जारी कर सकता है/ IASST may cancel, modify or reissue the EOI where considered necessary.

- आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी का सत्यापन आईएसएसटी द्वारा किया जा सकता है/ All information submitted by applicants may be verified by IASST.
- ईओआई के जमा होने से आवेदक के पक्ष में कोई संविदात्मक या अन्य अधिकार नहीं बनेगा/ Submission of an EOI shall not create any contractual or other right in favour of the applicant.
- लाइसेंस केवल आईएसएसटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित औपचारिक लाइसेंस समझौते के निष्पादन पर प्रभावी होगा/ The licence shall become effective only upon execution of a formal Licence Agreement approved by the competent authority of IASST.
- सभी लागू कर, शुल्क और वैधानिक शुल्क लाइसेंस समझौते में निर्दिष्ट रूप से निपटाए जाएंगे/ All applicable taxes, duties and statutory charges shall be dealt with as specified in the Licence Agreement.
- सफल आवेदक सभी लागू भारतीय कानूनों, विनियमों और संस्थागत आवश्यकताओं का पालन करेगा/ The successful applicant shall comply with all applicable Indian laws, regulations and institutional requirements.
- आईपी स्वामित्व, सुधार, गोपनीयता, प्रकाशन, देयता, क्षतिपूर्ति, समाप्ति और विवाद समाधान की विस्तृत शर्तें अंतिम लाइसेंस समझौते में शामिल की जाएंगी / The detailed terms of IP ownership, improvements, confidentiality, publication, liability, indemnity, termination and dispute resolution shall be incorporated in the final Licence Agreement.

15. प्रस्तुतिकरण/ Submission

इच्छुक आवेदक पूर्ण ईओआई तथा सहायक दस्तावेज़ निर्धारित तिथि और समय तक कुलसचिव, आईएसएसटी को, अंतिम प्रकाशित सूचना में निर्दिष्ट पते/ईमेल पर प्रस्तुत करेंगे/ Interested applicants shall submit the completed EOI and supporting documents to the Registrar, IASST, at the address/email specified in the final published notice by the prescribed date and time.

ईओआई संदर्भ/ EOI Reference: IASST/EOI/224/2026

दिनांक/ Date: 08/10/2026

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय/Last date/time of submission: 23/10/2026 up to 5:30 PM

खोलने/मूल्यांकन की तिथि/Opening/evaluation date: 26/10/2026 at 11:00 AM